

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/सीधी भर्ती-2013/2017/

दिनांक:-

नोटिस

एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन संख्या 14654/2016 महिपाल सिंह भाटी व अन्य बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 12.04.2017 को पारित निर्णय को पालना मे फार्मासिस्ट भर्ती-2013 के विज्ञापित 1209 पदो मे से शेष 411 पदो पर निदेशालय के आदेश क्रमांक 382 दिनांक 05.07.2017 के द्वारा चयन प्रक्रिया पूर्ण कर आदेश क्रमांक 398 दिनांक 14.07.2017 के द्वारा अभ्यर्थियो का पदस्थापन किया गया है जिसमे कार्यग्रहण की अंतिम तिथि 08.08.2017 थी। जिन अभ्यर्थियो द्वारा अं.उन तिथि 08.08.2017 तक न तो कार्यग्रहण किया है और न ही कार्यग्रहण किये जाने हेतु एक्सटेंसन लिया है उन अभ्यर्थियो को इस नोटिस के जरिये सूचित किया जाता है कि ये 15 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित हो कर कार्यग्रहण नहीं करने के कारणो से अवगत करावें अन्यथा यह मान लिया जायेगा कि अभ्यर्थी फार्मासिस्ट के पर पर कार्य करने के इच्छुक नही है। उक्त निर्धारित अवधि पश्चात् उनके चयन एवं पदस्थापन आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेगे।

sd -

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/सीधी भर्ती-2013/2017/433

दिनांक:- 30/8/17

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान।
2. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय समूह राजस्थान।
3. संबंधित अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
4. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
5. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. प्रभावी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
7. संबंधित कर्मचारी को पालनार्थ।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर